


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म

25/2/26

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी को बार-बार हटवाए जाने तथा अप्रार्थी के वर्तमान पूर्ण पत्रों के नोटिस पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी आंफेनाऊ तक याबिले आदेश की पालना नहीं की है। परिणामस्वरूप प्रकरण में अप्रार्थी की वैध रूप से तलबी कराया जाना सम्भव नहीं है। दस्तगत प्रकरण वर्ष 2021 में तलबी की स्थिति में लाम्बित है जो कि 5 वर्ष से सुनने प्रकरणों की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण अप्रार्थी के वर्तमान पूर्ण पत्रों तथा तलबी के अभाव में चलने योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप दस्तगत निगरानी याचिका इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। एका प्रार्थी के अप्रार्थीगण के वर्तमान पूर्ण पत्रों के साथ निगरानी पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्वर्तित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम लेकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का आभिनंदन लौटता जाते।


 अति. जिला जज/मैजिस्ट्रेट पाली